**कार्यालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)**
**पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2024**
**प्रकरण दर्ज तिथि :— 06.03.2024**
**जीसीएमएस नम्बर :— 2024/72**

प्रार्थीगणः—
पूनमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, उम्र 35 साल, जाति राजपुरोहित,
निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. राजेशकुमार पुत्र श्री पारसमल,
2. मिश्रीलाल पुत्र श्री नारायणलाल,
3. दिनेश पुत्र श्री जोगाराम,
4. चम्पालाल पुत्र श्री कालूराम,
5. नरेश पुत्र श्री सोहनलाल,
   जातियान कुम्हार, निवासीगण झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राजसमन्द)
6. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय रायपुर, जिला ब्यावर
7. पटवारी, पटवार हल्का झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर
8. उरजाराम पुत्र पूनमचंद कौम कुम्हार
   निवासी झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

उपस्थित 1. श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः 03.04.2025**

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भागीरथ तेली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी की खरीदशुदा, कब्जा काश्त सुदा भूमि ग्राम झूठा, तहसील रायपुर मे आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 712 रकबा 1.8049 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल है, जिसमे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा आता है। प्रार्थी अपने हक हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त करता आ रहा है।प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थीगण राजेशकुमार पुत्र श्री पारसमल, मिश्रीलाल पुत्र श्री नारायणजी, दिनेश पुत्र जोगाराम, चम्पालाल पुत्र कालूराम, नरेश पुत्र सोहनलाल, जातियान कुम्हार, निवासीगण झूठा, तहसील रायपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का श्रीमान् के समक्ष पेश किया, जो राजस्व प्रकरण संख्यास 09/2021 दर्ज किया गया, एवं अप्रार्थीगण की तलबी की गयी, दौराने सनुवाई प्रार्थी संख्या 4 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया जो दिनांक 24/08/2023 को स्वीकार किया गया एवं उसी रोज संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या 4 पूनमसिंह की तलबी की गई, पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 21/9/2023 को नियत रखी गई।उक्त प्रकरण की कोई सूचना/नोटिस अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी को नही मिली, अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह को कोई नोटिस या सम्मन या सूचना जरिये डाक प्राप्त नही हुई, इस प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह श्रीमान् के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रख सका, एवं अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, एवं दिनांक 21/09/2023 को अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया गया। उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी को सुना जाना एवं उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अन्यथा अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह को अपने हक, अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी सूरत मे अप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेशिका दिनांक 21/09/2023 एवं श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/09/2023 को अपास्त करअप्रार्थी संख्या 4/प्रार्थी पूनमसिंह को सुने जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।उक्त प्रकरण एवं उक्त आदेशिका एवं आदेश की जानकारी दिनांक 20/12/2023 को हुई, तब प्रार्थी ने दिनांक 21/12/2023 को नकल आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण की नकले दिनांक 22/12/2023 को प्राप्त की, तब प्रार्थी को उक्त आदेशिका एवं आदेश की जानकारी हुई। फिर प्रार्थी को विधिक सलाह प्राप्त करने मे समय लगा, इस कारण से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने मे देरी हुई है। जिसे माफ किया जाना आवश्यक है, उक्त देरी का क्षमा करने हेतु अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है,

गुलाबसिंह
**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**
**रायपुर (ब्यावर)**

र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे प्रार्थी पूनमसिंह को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावें, इसलिये दिनांक 21/09/2023 को प्रार्थी पूनमसिंह के विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेशिका एवं आदेश को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 05 नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी पूनमसिंह को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावें, इसलिये दिनांक 21/09/2023 को प्रार्थी पूनमसिंह के विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेशिका एवं आदेश को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस सुनी गई। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस एवं पत्रावली अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण धारा 136 में दर्ज मुकदमा नम्बर 09/2021 में जारी निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण में की गई एकतरफा कार्यवाही में प्रार्थी को पुनः सुनवाई किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित समझते हैं।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 13 सीपीसी पोषणीय पाये जाने से स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण धारा 136 में दर्ज मुकदमा नम्बर 09/2021 में जारी निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण में की गई एकतरफा कार्यवाही में प्रार्थीगण को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता हैं। साथ ही उक्त प्रकरण में सरहद मौजा झूठा के खसरा नम्बर 712, रकबा 1.8049 हैक्टेयर में निर्णय दिनांक 21/09/2023 के पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसकी पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर भेजी जावे, मूल पत्रावली 9/2021 पुनः उसी नम्बर पर दर्ज की जावे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गुलाबसिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)**

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)**